संख्या-345/2026/ 200 /नौ-9-E-1677010

प्रेषक,

संजय कुमार तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक 26 फरवरी, 2026**

विषयः- नगरीय क्षेत्रों की योजनाओं को सुचारू रूप से लागू करने एवं पर्यवेक्षण के लिए प्रोजेक्ट मानिटरिंग यूनिट (पी0एम0यू0) के गठन हेतु धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगरीय क्षेत्रों की योजनाओं को सुचारू रूप से उनको लागू तथा पर्यवेक्षण के लिए प्रोजेक्ट मानिटरिंग यूनिट (पी0एम0यू0) के गठन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत "नगरीय क्षेत्र की योजनाओं हेतु प्रोजेक्ट मानिटरिंग यूनिट (पी0एम0यू0) की स्थापना-42-अन्य व्यय" मद में कुल प्राविधानित धनराशि रू0 500.00 लाख में से उक्त प्रोजेक्ट मानिटरिंग यूनिट (पी0एम0यू0) के कार्यालय अधिष्ठापन एवं इन एजेन्सियों के कार्मिकों पर होने वाले व्यय भार के वहन हेतु कुल धनराशि रू0 500.00 लाख (रूपये पाँच करोड़ मात्र) निम्नलिखित शर्तों के अधीन अवमुक्त करते हुए आपके निर्वतन पर रखे जाने की मा0 राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :-

<u>नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों</u>

1. उक्त धनराशि निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ के पदनाम से खुले बैंक खाते में हस्तान्तरित कर रखी जायेगी।
2. धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।
3. प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाय। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
4. व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश प्रयागराज को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा।
5. लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
6. कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ का होगा।
7. इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों के वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामलें की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय विभाग तथा वित्त विभाग को दी जाय।
8. प्रश्नगत धनराशि विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

9. स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक-27 मार्च, 2025 की शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **रुपये 5,00,00,000 (रुपये पाँच करोड़ मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2217058000300 नगरीय क्षेत्र की योजनाओ हेतु प्रोजेक्ट मानिटरिंग यूनिट (पी.एम.यू.) की स्थापना मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,
Digitally signed by
SANJAY KUMAR TIWARI
Date: 26-02-2026
10:36:35
(संजय कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

संख्या 345 /2026/ 200 /नौ-9-E-1677010, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन कोषागार, लखनऊ।
4- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6- सहायक निदेशक (वित्त), नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
8- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(संजय कुमार तिवारी)
अनु सचिव।